तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/5/14	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान हाजिर। प्रार्थना अस्थायी निषेधाज्ञा पर उभय पक्षकारान अर्ज बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि आराजी खा.नं. 175/1, व 175/3 वाके ग्राम दतवास तहसील निवाई में स्थित है। जिसमें प्रार्थिया व अप्रार्थीगण संयुक्त खातेदार है। जिसमें प्रार्थिया व अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हक व हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से खातेदार काबिज मालिक चले आ रहे है। लेकिन उपरोक्त वर्णित सम्पूर्ण भूमि का राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर कोई विधिवत तकासमा नहीं हुआ है। इसी कारण प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि के बंटवारे को लेकर आए दिन वाद विवाद लड़ाई झगड़े होते है, एवं भूमि के मध्य मेर डोल स्थापित नहीं होने व नाप चौक सीमांकन नहीं होने से अनावश्यक विवाद पैदा होते है। अतः जब तक उपरोक्त वर्णित भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हो जाता तब तक अप्रार्थीगण	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों का इंकार करते हुए निवेदन किया उपरोक्त वर्णित भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर आपसी बंटवारे अनुसार शांतिपूर्वक काबिज काश्तकार हो कर अपने हिस्से की आराजियात को उपयोग में लेते चले आ रहे हैं। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजियात का मौके एवं कब्जे कास्त अनुसार एवं राजस्व रिकार्ड में पक्षकारों के व हिस्से अनुसार बंट हुये है तथा प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के मध्य मेंर का स्थापित नहीं होने व नापन्यो अधिक व कम होने से कोई विवाद पैदा नहीं होता है। वादग्रस्त आराजियात में अप्रार्थीगण की राजस्व रिकार्ड में खातेदार की स्थिति है। राजस्व काश्तकारी अधिनियम के तहत एक खातेदार दूसरे खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता है जिसका प्रार्थिया द्वारा प्रार्थिया द्वारा खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा चाहे जाने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के कारण प्रार्थिया का अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना विधि संगत एवं न्यायसंगत है। हमने विद्वान अधिवक्ता की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु की बहस का सम्पूर्ण मनोयोग से विधि के आलोक में गहन चिन्तन मनन किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वाद तकासमा का प्रार्थिया व अप्रार्थीगण संयुक्त खाते दार है। प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के मध्य भूमि की मेर कोर व नाप-जोख अधिक व कम होने से आए दिन वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया व अप्रार्थीगण को मूलवाद के निर्णय तक अन्तरिम अस्थायी से पाबन्द किया जाना न्यायालय उचित समझता है। अतः प्रार्थिया व अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजियात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु मूलवाद के निर्णय तक अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
	फैसला होकर नत्थी मि. कर दी जाकर शामिल दफ्तर हो।